राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक :- प.6(18)राज-6/99/32   जयपुर, दिनांक :- 23-9-99

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1956) की धारा 260 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 90-ख के अन्तर्गत व्यक्तियों द्वारा धारित भूमि में, के अधिकारों का पर्यवसान एवं पुनर्ग्रहण की कार्यवाही हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण में कार्यरत समस्त तहसीलदारों को उनके स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर अधिनियम की धारा 56 की उप-धारा (ii) में अधिकृत अभिकर्ता के कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु एतदद्वारा निर्देश देती है ।

राज्यपाल के आदेश से,

(शिव कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव/मा0 राजस्व मंत्री जी / मा0 मुख्य सचिव जी / प्रमुख शासन सचिव, राजस्व ।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान ।
3. [illegible]
4. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।
5. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर ।
6. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान ।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
8. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र विशेषांक दिनांक 23-9-99 में प्रकाशनार्थ ।
9. "राविरा" राजस्व मण्डल, अजमेर।
10. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर ।
11. उप निबन्धक (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल, अजमेर ।
12. शासन उप सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर ।
13. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव

मनोज/23999